न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
240 / 2024	24.05.2024	10.06.2024

उनवान

1. नन्द लाल आत्मज श्री छगनलाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. कस्तुरी पत्नी सोहन कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम
2. मन्जु पुत्री सोहन कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम
3. रतन लाल पिता सोहन कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. सुशीला पुत्री सोहन कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. जमना पुत्र किशना कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम
6. लेहरू पुत्री गोकल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम
7. शम्भु पुत्र नन्दा दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम पंचायत
8. श्यामु पुत्री गोकल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम
9. शान्ति पुत्री गोकल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम
10. कस्तुरी पत्नी नन्दा दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. देवी पिता गोकल दरोगा, उम्र वयस्क निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. धन्नी पुत्री नन्दा दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम
13. धापु पत्नी जमना लाल दरोगा, उस वयस्क, निवासी ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा.

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

14.नाराणी पुत्री गोकल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम

15.पारस पुत्री जमना लाल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा,

16.भागुती पत्री नन्दा दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम

17.आशा पुत्री जमना लाल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा,

18.मेमा पुत्री गोपाल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम

19.रूकमा पुत्री नन्दा दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

20.रतन लाल पिता जमना लाल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी– रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

21.राधा पत्नी गोपाल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम

22.घीसु पिता नन्दजी कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

23.छगन पिता नन्दजी कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा, ग्राम

24.गायत्री पुत्री देवी लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) रूपपुरा,

25.सत्यनारायण पिता देवी लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

26.छितर पुत्र जमना कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

27.नारायण पुत्र जमना कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

28.प्यारी पत्नी जमना कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

29.प्रेम पुत्री देवी लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

30.पाना पुत्री देवी लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

31.रमेश पुत्र देवी लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

32.रामचन्द्र पुत्र लेला कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

33.लेहरू पुत्र देवी लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

34.गोविन्द पुत्र गोपाल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

35.सांवत पुत्र गोपाल दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी रूपपुरा, ग्राम पंचायत कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

36. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी महेश चन्द्र विश्नोई
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 35 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: <u>निर्णय</u> :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूपपुरा प0ह0 कोचरिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 24 की अभिलिखित आराजियात 50, 51, 52 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8345 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 35 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रूपपुरा प0ह0 कोचरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 24 की अभिलिखित आराजियात 50, 51, 52 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8345 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा